संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती नियम शाखा को भारत सरकार और ईपीएफओ, ईएसआईसी, डीजेबी, एनडीएमसी और दिल्ली नगर निगमों जैसे कुछ अन्य संगठनों में विभिन्न समूह-कऔर समूह-ख पदों के भर्ती और सेवा नियमों के प्रतिपादन और संशोधन के लिए आयोग में प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करना अनिवार्य है। इसके अलावा, यह शाखा नव सृजित पदों के लिए भर्ती के वन-टाईम-मोड के निर्धारण के प्रस्तावों का भी मूल्यांकन करती है, जिसके लिए कोई भर्ती नियम अधिसूचित नहीं हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान पदों की संख्या जिनके लिए भर्ती नियमों में संशोधन/प्रतिपादन के प्रस्ताव प्राप्त हुए और वर्ष-वार आधार पर दिया गया परामर्श, नीचे तालिका-1 में दिया गया है:-

तालिका-1 : पिछले पांच वर्षों के दौरान मूल्यांकन किए गए आरआर प्रस्ताव

क्रम. सं.	वर्ष	पिछला जोड़	प्राप्त किया गया	कुल[(ii)+(iii)]	जिन पदों पर सलाह दी गई/निपटान किया गए	अग्रेनित
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
1	2015-16	11	-	630	641	0
2	2016-17	0	615	615	608	7
3	2017-18	7	611	618	595	23
4	2018-19	23	693	716	607	109
5	2019-20	109	523	632	575	57

आरेख -1:

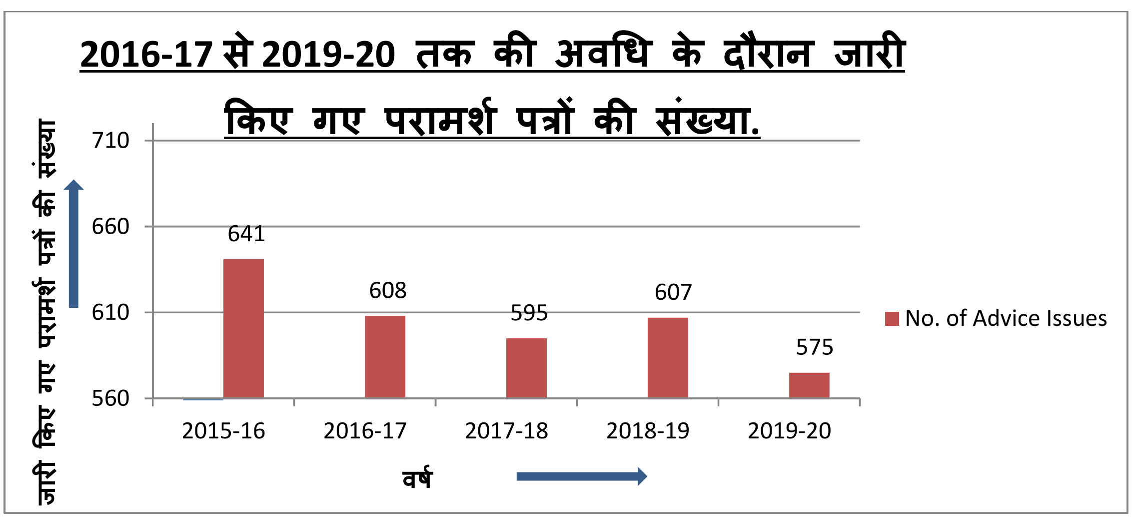

प्रस्तावों के प्रोसेसिंग हेतु मौजूद प्रणाली:परिचालनात्मक ढांचे के संदर्भ में, आयोग की भर्ती नियम शाखा एकल विंडो प्रणाली के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त करती है। इस व्यवस्था के अंतर्गतपूर्व निर्धारित चैक-लिस्ट के अनुरूप मंत्रालयों/ विभागों/ संघ राज्य क्षेत्रों/ स्वायत्त संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों को उसी समय शाखा में प्राधिकृत अवर सचिव, जिनको खास तौर पर यह कार्य आबंटित किया गया है, के द्वाराप्रारंभिक संवीक्षा हेतु जाँच की जाती है। यदि प्रस्ताव को सभी प्रकारसे पूर्ण पाया जाता है तो इसे ले लिया जाता है एवं तत्पश्चात् सचिवालयद्वारा उक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए इस पर कार्रवाई किया जाता है एवं आयोग को उसके विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

आयोग द्वारा उठाई गई वर्तमान पहलें

i)भर्ती नियम के प्रस्तावों को ऑन-लाईन प्रस्तुत करने तथा उसकी प्रोसेसिंग संबंधी भर्ती नियम प्रतिपादन, संशोधन एवं निगरानी प्रणाली (आरआरएफएएमएस) पोर्टल।

भर्ती नियम प्रतिपादन, संशोधन एवं निगरानी प्रणाली (आरआरएफएएमएस)के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग मॉड्युल दिनांक 03.12.2018 से चालू किया गया था। आरआरएफएएमएस पोर्टल पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुमोदित भर्ती नियम प्रस्ताव अब आयोग में ऑनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं। आरआरएफएएमएस अब ऐसे संगठनों जैसे कि संघ राज्य क्षेत्र, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली महानगर पालिका, दिल्ली जल बोर्ड, आदि में उपलब्ध कराई गई है जो भर्ती नियम प्रस्तावों को सीधे ही आयोग को भेजते है न कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से।

ii)आरआरएफएएमएस पर ओरिएंटेशन कार्यशाला एवं भर्ती नियमों में मंत्रालयों के साथ मुद्दें

विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों को भर्ती नियम प्रतिपादन, संशोधन एवं निगरानी प्रणाली (आरआरएफएएमएस) संबंधी संघ लोक सेवा आयोग के मॉड्युल की जानकारी देने तथा साथ ही साथ भर्ती नियम प्रस्तावों को आयोग में प्रस्तुत करने संबंधी कुछ समस्याओं पर चर्चा करने हेतु आयोग में तीन दिवसीय अर्थात् दिनांक 4, 5 एवं 8 जुलाई, 2019 को आरआरएफएएमएस पर ओरिएंटेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग एवं राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के अधिकारियों ने भी कार्यशाला में हिस्सा लिया था। कार्यशाला में 55 मंत्रालयों/ विभागों ने भाग लिया था।